

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर दिल्ली**

संख्या...../प्रशासन अनुभाग-3/रोहिणी/दिल्ली

दिल्ली, दिनांक.....

:- आदेश :-

सभी ग्रुप सी पूर्ववर्ती ग्रुप डी कर्मचारियों की समान श्रेणियों (पुरुष एवं महिला) को निर्देश दिया जाता है कि आप सभी बिना किसी अपवाद के कार्यालय परिसर में कार्यालय समय के दौरान अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे तथा कार्यालय में अपनी वर्दी पहनकर आयेगें।

इस आदेश का अनुपालन नहीं करने पर आदेश की जान बूझकर अवमानना समझा जाएगा तथा अवमानना करने वाले कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Vinay Yadav

(विमल कुमार यादव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उत्तर-पश्चिम
रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली. *सुनील*

२५०१६-२५०१६

संख्या...../प्रशासन अनुभाग-3/रोहिणी/दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 14/07/2023

उपर्युक्त आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

1. सभी विद्वान न्यायिक अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली
2. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली अपने अधीनस्थ कर्मचारी को इस आदेश से अवगत करायें।
3. सभी पेशकार, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली अपने अधीनस्थ कर्मचारी को इस आदेश से अवगत करायें।
4. निजी सचिव, विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली
5. अभिलेख अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली
6. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली
7. संबंधित कर्मचारी, लेयर सीट, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली
8. वेबसाइट समिति, जिला उत्तर-पश्चिम, रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली

Vinay Yadav

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला उत्तर-पश्चिम
रोहिणी न्यायालय परिसर, दिल्ली *सुनील*